सत्यमेव जयते

संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा)/A3-60(1)/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

10 MAY 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयः उत्तराखण्ड देहरादूनः दिनांकः ~~अप्रैल,~~ 2022

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 2163 के0यू0/मान्यता/सम्बद्धता/2020–21 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा पिथौरागढ़ इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, बुंगाछीना, पिथौरागढ़ को बी0एस–सी0 (एग्रीकल्चर) पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020–21 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्र0	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	पिथौरागढ़ इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेण्ट, बुंगाछीना, पिथौरागढ़।	बी0एस–सी0 (एग्रीकल्चर)	60 सीट	सत्र 2020–21

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व यू0जी0सी0/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 व शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि संस्थान में अध्ययनरत छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4– सम्बन्धित संस्थान यू0जी0सी0 विनियम 2009 के नियम 3.4.7 की व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से फैकल्टी का अनुमोदन करेगा।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा मं ही स्वीकार्य होंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 573 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-60(1)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक, पिथौरागढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, बुंगाछीना, पिथौरागढ़।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।